



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 9 मई, 2005

वैशाख 19, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गोपन अनुभाग-1

संख्या 2/1/1/87-सी० एक्स० (1)

लखनऊ, 09 मई, 2005

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981) की धारा 8 और उक्त पूर्ववर्ती अधिनियम 1981 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा-भत्ता) नियमावली, 1997 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

**उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2005**

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा-भत्ता) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में नियम 3 के उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नियम 3(1)(ग) का संशोधन

**स्तम्भ-1**

**वर्तमान नियम**

3(1)(ग)-चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों को निम्नतम श्रेणी के किराये के दर से वास्तव में दिये गये रेल के किराये का, चाहे वे उनके साथ या उनके पहले, या पश्चात् यात्रा करें।

**स्तम्भ-2**

**एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम**

3(1)(ग)-चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों को द्वितीय श्रेणी (स्लीपर) के किराये के दर से वास्तव में दिये गये रेल के किराये का, चाहे वे उनके साथ या उनके पहले, या पश्चात् यात्रा करें।

आज्ञा से,  
नीरा यादव,  
मुख्य सचिव।

## संख्या-2/1/1-87-सी०एक्स० (1), तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के प्रमुख सचिव।
- 2-मा० मुख्य मंत्री जी/समस्त मा० मंत्रिगण/समस्त मा० राज्य मंत्रिगण (स्वतंत्र प्रभार)/समस्त मा० राज्य मंत्रिगण के निजी सचिव।
- 3-शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- 4-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 5-राज्य सम्पत्ति अधिकारी।
- 6-उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव।
- 7-महालेखाकार, तृतीय, जी०ए०-1 अनुभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8-सचिवालय प्रशासन अनुभाग-10/11/12/इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ।
- 8-सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

कृष्ण गोपाल,  
विशेष सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the notification no. 2/1/1-87-C.X. (1), dated May 09, 2005 :

No. 2/1/1-87-C.X. (1)

Dated, Lucknow, May 09, 2005

IN exercise of the powers conferred by section 13 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 (U.P. Act no. 14 of 1981) read with section 6 of the said Act and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Ministers (Travelling Allowances) Rules, 1997 namely:-

**THE UTTAR PRADESH MINISTERS (TRAVELLING ALLOWANCES)  
(FIFTH AMENDMENT) RULES, 2005**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ministers (Travelling Allowances) (Fifth Amendment) Rules, 2005.   | Short Title and commencement |
| (2) They shall come into force at once.   |                              |
| 2. In the Uttar Pradesh Ministers (Travelling Allowances) Rules, 1997, in rule 3 in sub rule (1) for existing clause (c) set out in Column-I below the clause as set out in Column-II shall be substituted namely:- | Amendment of rule 3(1)(c)    |

**COLUMN-I**

**Existing Clause**

3(1)(c) railway fares actually paid for not more than four personal attendants at the lowest class rates, whether they travel with him or precede or follow him.

**COLUMN-II**

**Clause as hereby substituted**

3(1)(c) railway fares actually paid for not more than four personal attendants at the second class (sleeper) rates, whether they travel with him or precede or follow him.

By order,  
NEERA YADAV,  
Mukhya Sachiv.